133

संख्याः–1269 / VI(1) / 2013–02(02) / 2013

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 09 मई, 2013

विषयः–वित्तीय वर्ष 2012–13 में श्री नन्दादेवी राजजात यात्रा 2013 से सम्बन्धित सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–18 / 2–6–68 / 2013–14, दिनांक 18 अप्रैल, 2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री नन्दादेवी राजजात यात्रा 2013 के अन्तर्गत सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में प्राविधानित धनराशि ₹ 100.00 लाख में से ₹ 98.26 लाख (रूपये अट्ठानवे लाख छब्बीस हजार मात्र) को व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

i. कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरे शेड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियंता / सक्षम अधिकारी से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

ii. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

iii. यहां यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है।

iv. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

v. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग कर दिनांक 31 मार्च, 2014 से पूर्व उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जायेगा और विभिन्न मदों में वास्तविक व्यय के सापेक्ष हुई बचतों को राजकोष में जमा करा दिया जायेगा।

vi. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

vii. एक योजना हेतु स्वीकृत धनराशि का व्यय दूसरी योजना पर कदापि न किया जाय।

viii. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047 / XIV–219(2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन किया जाय।

ix. व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 में उल्लिखित प्राविधानों एवं इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों / नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

x. कार्यदायी संस्था के निर्धारण में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–5452–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–संबर्धन तथा प्रचार–04–राज्य सेक्टर–49–पर्यटन विकास की नई योजनाएं–24–वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0–54 / XXVII(2) / 2013, दिनांक 07 मई, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

4– उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत अलोटमेंट आईडी– S1305260116 द्वारा निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक–यथोपरि

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
अपर सचिव।

संख्याः– 1269 / VI(1) / 2013–02(02) / 2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– वित्त अधिकारी,साइबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला देहरादून।
4– आयुक्त गढ़वाल मण्डल।
5– जिलाधिकारी, चमोली।
6– वित्त अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन।
7– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र भट्ट)
अनुसचिव।